मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक – 13.08.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यकारी समिति की षष्टम् बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– **पंजी के अनुसार।**

कार्यावली संख्या –01

कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की दिनांक – 07.04.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णयः– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या – 02

शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की दिनांक– 12.09.2017 को संपन्न बैठक की कार्यवाही अवलोकनार्थ।

निर्णयः– अवलोकित।

कार्यावली संख्या – 03

कार्यकारी समिति की दिनांक– 07.04.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :–

कार्यकारी समिति की दिनांक – 07.04.2017 की कार्यवाही की कार्यावली संख्या– 09	अनुपालन
श्रम संसाधन विभाग के पत्र संख्या–217, दिनांक–28.03.2017 द्वारा निम्न बिन्दुओं को कार्यकारी समिति के बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श हेतु सम्मलित करने का अनुरोध किया गया है :– 1. कुशल युवा कार्यक्रम के लाभार्थियों की अधिकतम उम्र को 25 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किये जाने पर विचार–विमर्श। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभार्थियों की उम्र 20–25 वर्ष ही रहने के बिन्दु पर विचार–विमर्श। 2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों से भी कुशल युवा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु सुरक्षित जमा के रूप में 1,000/– रूपये के राशि लिये जाने पर विचार–विमर्श, जो उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात उनके बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी, ताकि स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों का कुशल युवा	**निर्णयः–** **कंडिका–01 एवं 02 के संबंध में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है।** **कंडिका–03 के संबंध में निदेशित किया गया कि श्रम संसाधन विभाग, आवश्यकतानुसार अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करे।** **अनुपालन :– श्रम संसाधन विभाग।**

कार्यक्रम से dropout को नियंत्रित किया जा सके। 3. स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रारंभ के 06 माह में ही कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विचार-विमर्श। उपरोक्त बिन्दुओं पर विचारोपरांत कार्यकारी समिति का निदेश प्रार्थित है। **निर्णय :- कंडिका -01 में अंकित कार्यक्रम को तत्काल अपने मूल स्वरूप में कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया एवं 03 माह बाद पुनः समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। कंडिका-02 अनुमोदित।** **अनुपालन :- श्रम संसाधन विभाग।**	

कार्यावली संख्या-4

बिहार विकास मिशन अन्तर्गत माह-अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक हुए आय/व्यय की विवरणी कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ निम्नवत है:-

Receipt (From 01-04-2017 Upto 31.03.2018)	
Received From	**Amount (in Rs.)**
Opening Balance	₹ 89,90,67,088.37
GoB	₹ 70,00,00,000.00
Interest	₹ 3,18,86,086.00
BOQ of Tender/ Penalty Other	₹ 63,596.00
Performance Security/ Performance Guarantee/Earnest Money	₹ 23,37,821.00
Total Receipt	₹ 1,63,33,54,591.37
Expenditure (From 01-04-2017 Upto 31.03.2018)	
Particulars	**Amount (in Rs.)**
Salary & Wages	₹ 3,93,61,495.00
Honorarium & Related Expenditure	₹ 42,34,47,903.86
Consultancy Fee	₹ 6,73,33,611.00
Mobile/Telephone/Internet Expenditure	₹ 8,34,937.00
Furniture & Office Equipments and Furnishing	₹ 19,18,436.00
Vehicle Hiring & Travelling Expenditure	₹ 50,83,573.00
Office Expenditure	₹ 76,50,672.50
Total Expenditure	₹ 54,56,30,628.36

बिहार विकास मिशन की अवशेष राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किया जा रहा है।

निर्णयः- अनुमोदित।

अनुपालन :- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-5

दिनांक-01.04.2018 को वित्तीय वर्ष 2017-18 की अधिशेष राशि लो० ₹ 108,77,23,963.01 है। बिहार विकास मिशन अन्तर्गत माह-अप्रैल' 2018 से मार्च' 2019 तक की अनुमानित व्यय-विवरणी (बजट प्राक्कलन) सरकार द्वारा मदवार निम्नवत् अनुमोदित है :-

Proposed Budget (From 01-04-2018 Upto 31-03-2019)	
Particulars	**Amount (in Rs.)**
Salary & Wages	₹ 10,00,00,000.00
Capital Expenditure (Furniture & Office Equipments and Furnishing)	₹ 5,00,00,000.00
Other than Salary (Including Consultancy Fee, Honorarium & Related Expenditure)	₹ 135,00,00,000.00
Total Expenditure	**₹ 150,00,00,000.00**

बिहार विकास मिशन का वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपरोक्त अनुमानित व्यय-विवरणी (बजट प्राक्कलन) पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः- अनुमोदित।

अनुपालन :- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-6

बिहार विकास मिशन अन्तर्गत माह-अप्रैल, 2018 से जुलाई, 2018 तक हुए आय/व्यय की विवरणी कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ निम्नवत है:-

Receipt (From 01-04-2018 Upto 31.07.2018)	
Received From	**Amount (in Rs.)**
Opening Balance	₹ 1,08,77,23,963.01
GoB	₹ 0.00
Interest	₹ 97,73,864.00
BOQ of Tender/Penalty Other	₹ 5,00,010.00
Performance Security/ Performance Guarantee/Earnest Money	₹ 40,101.00
Total Receipt	₹ 1,09,80,37,938.01
Expenditure (From 01-04-2018 Upto 31.07.2018)	
Particulars	**Amount (in Rs.)**
Salary & Wages	₹ 1,41,97,836.00
Honorarium & Related Expenditure	₹ 22,36,00,719.01
Consultancy Fee	₹ 1,95,000.00
Mobile/Telephone/Internet Expenditure	₹ 5,71,481.00
Furniture & Office Equipments and Furnishing	₹ 2,33,044.00
Vehicle Hiring & Travelling Expenditure	₹ 16,60,775.00
Office Expenditure	₹ 25,93,075.19
Total Expenditure	₹ 24,30,51,930.20

बिहार विकास मिशन का वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपरोक्त आय/ व्यय पर कार्यकारी समिति का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णयः- अवलोकित।

कार्यावली संख्या–7

बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका–09 (13) के आलोक में वैधानिक/सांविधिक (वार्षिक) अंकेक्षण (Statutory Audit) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पैनल से सूचीबद्ध पटना स्थित फर्म, Sangita Gupta & Associates 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna को कार्यहित में विहित प्रक्रिया के तहत चयनित कर वित्तीय वर्ष–2017–18 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य सम्पन्न करा लिया गया है। सांविधिक अंकेक्षक Sangita Gupta & Associates 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna के चयन पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– अनुमोदित।

अनुपालन :– **बिहार विकास मिशन।**

कार्यावली संख्या–8

बिहार विकास मिशन में वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 हेतु की गई Statutory Audit के उपरांत समर्पित Statutory Audit Report की प्रति कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ एवं उक्त प्रतिवेदन के आलोक में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– अनुमोदित।

अनुपालन :– **बिहार विकास मिशन।**

कार्यावली संख्या–9

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश सं0–465, दिनांक–18.05.2017 द्वारा अपर निदेशक (प्रोग्राम मॉनिटरिंग) एवं अपर निदेशक (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन) के साथ कार्य करने हेतु क्रमशः एक–एक Computer Assistant का पद स्वीकृत है। इस क्रम में मिशन निदेशक कार्यालय द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में उक्त सृजित Computer Assistant के पदों को समाप्त करते हुए उक्त स्वीकृत पद हेतु निर्धारित मानदेय की राशि ₹ 25,750/– पर ही प्रत्येक अपर निदेशक हेतु एक–एक अर्थात कुल दो (02) आशुलिपिक के पद के सृजन के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– अनुमोदित।

अनुपालन :– **बिहार विकास मिशन।**

कार्यावली संख्या–10

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5254/UDHD, दिनांक–09.02.2017 द्वारा बिहार विकास मिशन से निम्नांकित 04 (चार) विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है:–

(i) Finance Specialist
(ii) IT & MIS Specialist
(iii) GIS Specialist
(iv) Procurement Specialist

उक्त 04 (चार) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त 04 (चार) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– अनुमोदित।

अनुपालन :– **बिहार विकास मिशन।**

कार्यावली संख्या–11

(क) बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या–465, दिनांक–18.05.2017 द्वारा Legal Expert के 04 (चार) पद, Legal Advisor का 01 (एक) पद तथा Legal Assistant का 01 (एक) पद का सृजन किया गया। मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–05.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यथावर्णित सभी 06(छह) पदों को Surrender/ Hold करने तथा Legal Officer के 10 (दस) नये पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसका मानदेय ₹ 50,950/– (पचास हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) निर्धारित किया गया। उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से **Legal Officer** के 10 (दस) नये पदों का रोस्टर क्लीयरेंस कराते हुए नियोजन की कार्रवाई की गई है।

अतः उक्त पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

(ख) बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या–465, दिनांक–18.05.2017 द्वारा Executive Assistant के 04(चार) पदों का सृजन किया गया। मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में इस पद को Hold पर रखने तथा **Management Assistant-I** का 01(एक) पद एवं **Management Assistant-II** का 01(एक) पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसका मानदेय क्रमशः ₹ 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) एवं ₹ 75,750/– (पचहत्तर हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) निर्धारित किया गया।

अतः उक्त संशोधन पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– (क) एवं (ख) अनुमोदित।
अनुपालन :– बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या–12

बिहार विकास मिशन के सदस्य सचिव कार्यालय में प्रारंभ से ही प्रतिनियुक्ति के आधार पर मिशन के लेखा का कार्य हेतु एक लेखापाल कार्यरत हैं।

अतः कार्यहित में लेखापाल के एक (01) पद की स्वीकृति के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– अनुमोदित।
अनुपालन :– बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या–13

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (शासी विभाग) द्वारा Data Entry Operator एवं IT Boy के स्वीकृत पदों हेतु क्रमशः ₹13,477 (रूपये तेरह हजार चार सौ सतहत्तर) एवं ₹10,000 (रूपये दस हजार) प्रतिमाह निर्धारित है, जिसके आलोक में बाह्य स्त्रोत से बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BSEDC) के माध्यम से बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित मानदेय पर Data Entry Operator एवं IT Boy की सेवा प्राप्त की जा रही है। कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

निर्णयः– अवलोकित। बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा Data Entry Operator एवं IT Boy के लिए निर्धारित मानदेय पर सेवा प्राप्ति अनुमोदित।
अनुपालन :– बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या–14

मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक–04.06.2018 को आयोजित बैठक में बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त करने के लिए "Call Centre" के अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में प्रारंभिक तौर पर 5 Seat (Callers) का "Call Centre" विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए Out Sourcing के माध्यम से अधिष्ठापित किया गया, जो दिनांक–15.06.2018 से कार्यरत है।

उक्त पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– अनुमोदित।
अनुपालन :– बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या–15

बिहार विकास मिशन के HR manual में निम्न संशोधन पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है:–

i). HR Manual की पॉलिसी संख्या–18 की कंडिका–6.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार बिहार सरकार के तहत किसी कॉरपोरेशन/ सोसाईटी/ कंपनी/ विभाग/ NGO में कार्यरत स्थायी/ संविदा कर्मियों को बिहार विकास मिशन में विज्ञापित पदों पर आवेदन करने हेतु अपने नियंत्री पदाधिकारी से NOC प्राप्त कर समर्पित करना है एवं उनके चयन के उपरांत, योगदान के पूर्व अंतिम कार्यरत कार्यालय से No Dues Cerificate एवं Experience -cum-Relieving letter प्रस्तुत करना है।

चूँकि संविदा कर्मियों के Separation के समय विरमित करने का प्रावधान नहीं है एवं ऐसे कर्मी या तो त्यागपत्र देते हैं अथवा उन्हें सेवा मुक्त किया जाता है। उन कर्मियों के No Dues की स्थिति में ही समर्पित त्यागपत्र की स्वीकृति/ सेवा मुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

अतः उक्त के आलोक में व्यावहारिक कठिनाई के मद्देनजर कंडिका–6.2 में No Dues Cerificate and Experience-cum-Relieving letter को Experience / Relieving letter/ Acceptance of resignation से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

ii). HR Manual की पॉलिसी संख्या–19 की कंडिका–4.6 में यह प्रावधान है कि यदि कोई कर्मी बिहार विकास मिशन से अलग (Separate) होना चाहता हो, तो अनिवार्य रूप से उसे 30 दिनों का Notice Serve करना है एवं उक्त नियम का पालन नहीं करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। बिहार विकास मिशन से भी किसी कर्मी की आवश्यकता नहीं रहने पर उसे हटाने हेतु नोटिस (नोटिस अवधि 30 दिन) का प्रावधान है। इस क्रम में व्यावहारिक तौर पर यह पाया जा रहा है कि कुछ कर्मी Notice Serve नहीं कर सीधे त्यागपत्र समर्पित कर रहे है और उनसे क्षतिपूर्ति की वसूली करने में कठिनाई हो रही है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रावधान से बिहार विकास मिशन पर ही पूर्णतः बंधेज रहता है। अतः प्रस्ताव है कि बिहार विकास मिशन में नियोजित होने वाले सभी कर्मियों के प्रथम 04 (चार) माह में मासिक मानदेय राशि का $1/4^{th}$ (एक चौथाई) अर्थात् कुल 01(एक) माह का मानदेय बिहार विकास मिशन में जमा रहेगा, जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति हेतु किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मी ने नियमानुसार पूरी संविदा अवधि में कार्य कर लिया है अथवा नियमानुसार स्वीकृत त्यागपत्र के उपरांत उक्त जमा राशि वापस कर दी जायेगी।

iii). HR Manual के Rewards Policy की कंडिका–06 में प्रावधानित Project Allowance में अंकित Working को Worked/ working के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

iv). HR Manual की Rewards Policy में बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) का प्रावधान किया गया है। नियोजित कर्मियों हेतु विज्ञापित पदों में Medical की राशि को जोड़ते हुए कुल मानदेय राशि अंकित की जाती है, जबकि उक्त Medical की राशि का भुगतान Claim करने पर कर्मी को देने का प्रावधान HR Manual में है। HR Manual में यह भी प्रावधान है कि वर्ष के अंत में सभी Unclaim राशि का भुगतान कर्मी को किया जाना है। इससे Medical Reimbursement का

प्रावधान अप्रासंगिक हो जाता है। अतः Medical Reimbursement के स्थान पर Medical Allowance का प्रावधान किया जा सकता है, जिस हेतु कर्मियों को Claim करने की आवश्यकता नहीं होगी।
निर्णयः- कंडिका-(i), (ii), (iii) एवं (iv) अनुमोदित।

अनुपालन :- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-16

वित्त विभाग के पत्र सं०-2414, दिनांक-26.03.2018 द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं०-1118, दिनांक-13.02.2018 के माध्यम से गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के कार्यो को संचालित करने हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के 38 सहायक प्रबंधक (योजना) एवं 79 सिंगल विन्डों ऑपरेटर की सेवा एवं पत्रांक-74, दिनांक-19.06.2018 द्वारा मुख्यालय हेतु 01(एक) सहायक प्रबंधक (योजना) की सेवा अर्थात् कुल 118(एक सौ अठारह) कर्मियों की सेवा उक्त निगम को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। चूँकि बिहार विकास मिशन, सोसाईटी एक्ट के तहत निबंधित सोसाईटी है एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, कंपनी एक्ट के अधीन निबंधित निगम है। अतः तकनीकी दृष्टिकोण से तत्काल याचित कुल 118 कर्मियों (39 सहायक प्रबंधक (योजना) एवं 79 सिंगल विन्डों आपरेटर) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को दिया गया, जिसके मानदेय का भुगतान उक्त निगम द्वारा ही किया जा रहा है। इस पर योजना एवं विकास विभाग की सहमति प्राप्त है।

उक्त पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः- अनुमोदित।

अनुपालन :- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-17

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संसूचित ज्ञापांक-1078, दिनांक-12.10.2017 के कार्यावली संख्या-14 के अनुपालन में निर्गत बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-1090, दिनांक-17.10.2017 द्वारा बिहार विकास मिशन हेतु आवश्यकतानुसार आई०टी० ब्यॉय/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा बाह्य स्त्रोत से प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष कार्यकारी समिति-सह-मुख्य सचिव, बिहार को प्राधिकृत किया गया है। तदालोक में मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-663, दिनांक-07.06.2018 द्वारा पूर्व से 6A/CR में कार्यरत 05 (पाँच) आई०टी०ब्यॉय/ गर्ल के पदस्थापन की तिथि से 05(पाँच) आई०टी०ब्यॉय/ गर्ल के पद के सृजन की स्वीकृति एवं शासी निकाय कार्यालय हेतु 05(पाँच) आई०टी०ब्यॉय/ गर्ल के पद की स्वीकृति अर्थात् कुल-10 (दस) आई०टी०ब्यॉय/ गर्ल के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

निर्णयः- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-18

बिहार विकास मिशन में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के पश्चात् सृजित पदों पर नियोजन हेतु संबंधित विभाग/कार्यालय प्रधान से विमर्शोपरांत बिहार विकास मिशन के प्राधिकृत Consultant Hay Group की अनुशंसा पर तैयार Job Description (JD) एवं Remuneration Structure पर प्रथम एवं द्वितीय चरण में नियोजन की उपलब्धि नगण्य रही।

उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के Consultant Hay Group के प्रतिनिधि एवं BVM के पदाधिकारियों के साथ दिनांक-05.09.2017 को बैठक की गई। बैठक में समीक्षोपरांत Job Description (JD) एवं उसके

Remuneration Structure में वांछित संशोधन किया गया। संशोधित JD एवं Remuneration Structure पर अध्यक्ष, कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। साथ ही, प्राप्त अनुमोदन एवं निदेश के आलोक में नियोजन की अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

Revised Job Description & Remuneration Structure पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः- अनुमोदित। कार्यावली संख्या-19 में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-19

बिहार विकास मिशन में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पदों पर Empanelled Recruiting Agency के माध्यम से संविदा पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। कतिपय पदों पर नियोजन की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि कतिपय पदों पर नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उक्त प्रक्रिया द्वारा बिहार विकास मिशन के Pay Roll पर नियोजित कर्मियों को रखा जा रहा है। नियोजन की वर्तमान प्रक्रिया में काफी विलम्ब हो रहा है। साथ ही, कई पद (विशेष कर आरक्षित पद) रिक्त रह जा रहा है। कुछ पदों पर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहें है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में नियोजन का कार्य शीघ्र पूर्ण करं विभिन्न विभागों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वांछित मदद उपलब्ध कराने हेतु नियोजन की वैकल्पिक व्यवस्था यथा Out Sourcing के द्वारा एजेंसी के Pay Roll पर बिहार विकास मिशन द्वारा स्वीकृत Job Description (JD) के अनुरूप विशेषज्ञ/कर्मियों की सेवा प्राप्त करने के बिन्दु पर कार्यकारी समिति के विचारार्थ।

निर्णयः- जिन पदों पर नियोजन प्रक्रियाधीन है, उसे पूर्ण किया जाय। जिन पदों पर वर्तमान Job Description (JD) / मानदेय पर नियोजन में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रहीं है, उक्त की सूचना संबंधित विभाग को दी जाय। विभाग स्तर पर प्रसंगाधीन JD/ मानदेय की समीक्षा कर, वांछित संशोधन के साथ सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराई जाय। तदोपरांत संचिका के माध्यम से अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ उपस्थापित किया जाय।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-20

बिहार विकास मिशन की नियमावली के कंडिका - 14 (7) के आलोक में कार्यकारी समिति हेतु उप मिशनवार कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में प्राप्त निदेशों के अनुपालन-सह-प्रगति प्रतिवेदन Powerpoint के रूप में प्रस्तुत की जा रही है:-

(i) युवा उप-मिशन।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड:

- मिशन निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि 31.03.2018 तक प्राप्त आवेदनों का निर्धारण नहीं किया जा सका है एवं स्व-घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। कतिपय मामलों में TPVA द्वारा संस्थानों को प्राप्त मान्यता के संबंध में गलत सूचना को सत्यापित किया गया है तथा IFSC code की संख्या में विसंगति पाई गई है। उक्त पर **निदेशित किया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 31.03.2018 तक प्राप्त आवेदनों का सही निर्धारण एवं उसका स्व-घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए ताकि उन्हे बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा सके एवं TPVA**

से संबंधित मामलों की जांच कर सुनिश्चित किया जाय की भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

अनुपालन :- शिक्षा विभाग/ वित्त विभाग (बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड)।

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजनाः

- सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि प्रायः कुछ लाभुकों द्वारा Reconfirmation उपलब्ध कराने में उदासीनता बरती जाती है जिसके कारण वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त आवेदकों के संख्या का निर्धारण एवं अगले माह में स्वयं सहायता भत्ता की राशि उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में **निदेशित किया गया कि लाभुकों द्वारा Reconfirmation उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए तथा ऐसे लाभुकों से दूरभाष/SMS/ई-मेल से संपर्क कर Reconfirmation की उपयोगिता से अवगत कराया जाए।**

अनुपालन :- योजना एवं विकास विभाग।

कुशल युवा कार्यक्रम एवं कौशल विकास मिशनः

- मिशन निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों पर कुल प्रशिक्षण हेतु प्राप्त 8,56,564 आवेदनों में से वर्तमान में 3,81,470 आवेदकों का प्रशिक्षण अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में **निदेशित किया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षित विद्यार्थियों एवं प्रतीक्षारत विद्यार्थियों की संख्या में काफी अंतर को दूर करने हेतु आवश्यक उपाय करते हुए प्रशिक्षण हेतु लंबित वास्तविक आवेदकों की संख्या का समुचित विश्लेषण श्रम संसाधन विभाग द्वारा कर लेना चाहिए।**

अनुपालन :- श्रम संसाधन विभाग।

- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि कुल 534 प्रखंडों में से अधौरा (कैमूर) को छोड़ कर शेष 533 प्रखंड में प्रखंड कौशल विकास केंद्र संचालित है। सूचित किया गया कि गत दो वर्षों से internet connectivity की अनुपलब्धता के कारण अधौरा प्रखंड में कौशल विकास केंद्र का संचालन नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी द्वारा सूचित किया गया कि SECLAN (Secretariat Local Area Network) अधौरा प्रखंड में उपलब्ध है पर Signal Strength अभी पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त Signal Strength होने पर internet connectivity प्रदान कर दी जायेगी।

- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि माह 15, जून, 2018 से Aadhaar Authentication सुचारू रूप से नहीं हो रहा है तथा तात्कालिक तौर पर IT विभाग, बिहार द्वारा Demographic Verification किया जा रहा है जिसमें से लगभग 25% आवेदन रद्द हो रहे है। उक्त के आलोक में विकास आयुक्त की सदस्यता में निर्णय लिया गया कि KYP के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु तात्कालिक व्यवस्था के तहत बिना Aadhaar Verification किये MPA (DRCC) द्वारा प्रेषित आवेदनों को सहायक प्रबंधक (DRCC) स्वीकृत कर MKCL पोर्टल पर हस्तांतरित करेंगे। बाद में इन प्रशिक्षणार्थियों का DRCC पर आकर Aadhaar Verification करने के बाद ही इनका Caution Money (1000 रू०) वापस किया जाएगा।

- सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि उनके विभाग का Sub AUA (Authentication User Agency) बनना प्रक्रियाधीन है।

अनुपालन :- श्रम संसाधन विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/ सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग।

सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाईः

- मिशन निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि वाई-फाई योजना में डेटा का उपयोग और उपयोगकर्ता की संख्या को देखते हुए इस योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में **निदेशित किया गया कि वाई-फाई योजना के संबंध में विद्यार्थियों के बीच समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।**
  अनुपालन :- शिक्षा विभाग।

- प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य के अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों को Wi-Fi connectivity से जोड़ा जाए ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों द्वारा उठाया जा सके।
  अनुपालनः- **सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।**

आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार :-

- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि विभिन्न विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों से नियुक्ति संबंधी सूचना संग्रहण एवं सतत् अनुश्रवण हेतु Dashboard का निर्माण विभाग द्वारा कर लिया गया है, परन्तु इस Dashboard पर नियमित रूप से नियुक्ति संबंधी सूचना, विभागों द्वारा प्रविष्ट नहीं किया जा रहा है। **बैठक में निदेशित किया गया की सभी विभाग अपने प्रतिवेदन की प्रविष्टि सामान्य प्रशासन विभाग के Dashboard पर ससमय करें।**
  अनुपालन :- सभी विभाग।

सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थान :-

- अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में चिन्हित भूमि समस्या के आलोक में निदेशित किया गया **कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज, मधुबनी, औरंगाबाद, मुंगेर) कृषि विभाग (बक्सर, गोपालगंज, खगड़िया), शिक्षा विभाग (लखीसराय, अररिया) एवं आवास बोर्ड (समस्तीपुर, अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु NOC अप्राप्त) उक्त पर अविलम्ब कार्रवाई करें ताकि लंबित समस्याओं का निराकरण किया जा सके।**
  अनुपालन :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ कृषि विभाग/ शिक्षा विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग (बिहार राज्य आवास बोर्ड)।

सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिन्हित भूमि समस्या के आलोक में **निदेशित किया गया कि प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय कर भूमि संबंधी समस्याओं का निराकरण करें।**
  अनुपालन :- श्रम संसाधन विभाग।

(ii) पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप-मिशन।

"हर घर बिजली" निश्चय

मिशन निदेशक द्वारा प्रासंगिक निश्चय के तहत सभी गांवों एवं बसावटों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की ससमय प्राप्ति होने की सूचना देते हुए सभी ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित अवधि यथा दिसम्बर, 2018 तक होने का विश्वास जताया गया। इस क्रम में उनके द्वारा सूचित किया गया कि जिलों में विद्युतीकरण हेतु इच्छुक ग्रामीण घरों का लक्ष्य fluid है तथा जिलों में ग्राम

पंचायत स्तर पर आयोजित विद्युतीकरण कैंप के माध्यम से सभी ऐसे घरों को विद्युत् संपर्कता ससमय उपलब्ध कराने की विभागीय रणनीति है।

"हर घर नल का जल" निश्चय

मिशन निदेशक द्वारा "हर घर नल का जल" निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति एवं चुनौतियों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए चर्चा प्रारंभ की गयी। उनके द्वारा सूचित किया गया कि यद्यपि पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं में तेजी परिलक्षित हुई है किन्तु जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में आंकड़ों की विसंगति को दृष्टिपथ रख जिलावार कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण वार्डों की जांच कराये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सूचित किया गया कि गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में निविदा के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन कराये जाने तथा निविदा के प्रकाशन एवं निष्पादन के दर में कमी के फलस्वरूप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य प्रारंभ एवं निष्पादित योजनाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इस क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक से प्रभावित सभी वार्डों में नल-जल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की विभागीय प्रतिबद्धता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्प्रति विभागीय प्रगति के आलोक में फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में ही वांछित सफलता प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गयी। साथ ही गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में ससमय योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की दिशा में मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज विभाग एवं जिला स्तर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समुचित समन्वय स्थापित करने एवं वांछित सहयोग प्राप्त किये जाने का सुझाव दिया गया।

इस क्रम में **अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में सम्मिलित विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव, जो विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिव भी हैं, को प्रासंगिक विषय के सम्बन्ध में अपने-अपने आवंटित जिला में क्षेत्रीय भ्रमण के हुए अनुभवों को साझा करने का निदेश दिया गया।** तदनुसार प्रभारी सचिवों द्वारा अपने अनुभवों के माध्यम से निम्न सूचना साझा की गयी :-

- **प्रधान सचिव, उद्योग विभाग** ने सूचित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा पीने का पानी एवं खाना पकाने के अतिरिक्त जल से घर के अन्य कार्य करने यथा मवेशी धोने एवं नहलाने तथा खेत पटाने के फलस्वरूप जल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किये जाने के कारण कोसी प्रमंडल में जल का दुरूपयोग एवं जलापूर्ति व्यवस्था में प्रयुक्त Water Filters के choke हो जाने की समस्या परिलक्षित हुई है। इसके निराकरण हेतु प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन निर्धारित अवधि में ही नलकूप से जल की आपूर्ति किये जाने संबंधित विस्तृत Water Usage Plan तैयार करने का सुझाव दिया। साथ ही कोसी क्षेत्र में surface water का उपयोग कर जलापूर्ति की समस्या का निराकारण किये जाने का सुझाव दिए जाने पर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि दूषित surface water के उपचार में होने वाले व्यय एवं pumping से उत्पन्न समस्या की समीक्षा किये जाने के उपरांत ही भू-गर्भीय जल का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- **प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग** ने सूचित किया कि वार्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की क्षमता कम है, जिसके फलस्वरूप अधिकांश स्थानों पर मुखिया/ संवेदक द्वारा योजना क्रियान्वित

करायी जा रही है। इस क्रम में उनके द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति स्तर पर योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु व्यापक क्षमतावर्धन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

- **सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग** ने सूचित किया कि क्रियान्वित योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की दिशा में Civil Construction के norms यथा SOR का अनुपालन किया जा सकता है। इस क्रम में उनके द्वारा मुख्य जल वितरण प्रणाली के pipeline को कम से कम 3 फीट की गहराई पर बिछाने के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- **प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** ने सूचित किया कि नव निर्मित जलापूर्ति योजनाओं को उर्जान्वित करने हेतु बिजली कनेक्शन की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं दिखी। कतिपय स्थानों पर मुख्य pipeline के क्षतिग्रस्त होने के कारण water logging की समस्या भी परिलक्षित हुई है। मुखिया द्वारा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है तथा कई स्थानों पर Water usage charges भी निर्धारित नहीं किये गए हैं। साथ ही क्रियान्वित योजनाओं के अभिलेख का संधारण सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है।
- **सचिव, IT विभाग** द्वारा सूचित किया गया कि कतिपय स्थानों पर पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप जल-जमाव की समस्या परिलक्षित हुई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के नियमित उपयोग हेतु नल-जल की सुविधा साथ-साथ उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- **प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग** द्वारा सूचित किया गया कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत कतिपय स्थानों पर जल-स्रोत की समस्या परिलक्षित हुई है तथा इस क्रम में एक कामयाब जल-स्रोत के माध्यम से कई वार्डों में जलापूर्ति कराये जाने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही भू-गर्भीय जल की अत्यधिक निकासी सहित Water Recharge की व्यवस्था के व्यापक अभाव से कालान्तर में उत्पन्न होने वाले पर्यावरण की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया।
- **प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग** द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में नल-जल की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
- **सचिव, योजना एवं विकास विभाग** तथा **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका** द्वारा क्रमशः water usage charges के बिंदु पर नीतिगत निर्णय लेने एवं उपभोक्ताओं से water usage charges की वसूली किये जाने का सुझाव दिया गया।
- **सचिव, परिवहन विभाग** द्वारा water usage charges की वसूली सहित नलकूप को विद्युत् संपर्कता के माध्यम से उर्जान्वित कराने हेतु स्थायी व्यवस्था एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।

जलापूर्ति योजनाओं के बिजली विपत्रों के भुगतान की समस्या के सम्बन्ध में मिशन निदेशक द्वारा पंचायती राज विभाग को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि से इस मद में भुगतान किये जाने सम्बंधित उच्च स्तरीय निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि "हर घर नल का जल (ग्रामीण)" निश्चय से सम्बंधित बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा शीघ्र इनका निराकरण कर लिया जायेगा

क्योंकि उक्त आशय के विभिन्न विभागीय प्रस्ताव Key positions पर संविदा पर कार्मिकों की उपलब्धता सहित पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु online reporting की व्यवस्था पर जानकारी देते हुए उनके द्वारा सूचित किया गया कि NIC द्वारा तैयार विभागीय पोर्टल के चालू होने से क्षेत्र में क्रियान्वित एक-एक योजना का अनुश्रवण संभव हो सकेगा।

अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि हाल में संपन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 16.08.2018 को **सभी जिलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पूर्ण प्रतिवेदित वार्डों में क्रियान्वित की गयी योजनाओं का निरीक्षण कराया जायेगा। साथ ही क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में "हर घर नल का जल" निश्चय योजना का जांच करने का भी निदेश दिया गया।**

अनुपालन :- सभी संबंधित विभाग।

"घर तक पक्की गली-नालियाँ" निश्चय

कतिपय वार्डों में पूर्व निर्मित गली के साथ नालियाँ के अभाव के फलस्वरूप उत्पन्न जल-जमाव की समस्या के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समुचित अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन :- पंचायती राज विभाग।

"शौचालय निर्माण घर का सम्मान" निश्चय

मिशन निदेशक द्वारा ससमय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गुणवत्तायुक्त शौचालयों का निर्माण करने के साथ-साथ शौचालयों के design पर ध्यान दिए जाने एवं लाभार्थियों को नियमानुसार भुगतान कराये जाने की बात कही गयी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका द्वारा निकट भविष्य में नालंदा, शिवहर एवं खगड़िया जिलों को ODF घोषित किये जाने की सूचना दी गयी।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि सितम्बर, 2018 तक सभी 143 नगर निकायों को ODF घोषित कर दिया जायेगा।

सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा कोसी क्षेत्र में World Bank के सहयोग से क्रियान्वित प्रथम चरण की योजना के तहत निर्मित लगभग 44,000 शौचालयों के सम्बन्ध में व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अनुपालन :- नगर विकास एवं आवास विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

सुशासन के बिंदु

- **सभी शहरों में प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन**

  प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Plastic ban के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार कर जिला पदाधिकारियों के मंतव्य हेतु उन्हें प्रेषित किये जाने एवं मंतव्य प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गयी।

- **पटना मेट्रो रेल परियोजना**

  प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया कि यद्यपि DPR वांछित संशोधन सहित तैयार किया गया, किन्तु हाल में लोहिया चक्र पथ के कारण मेट्रो रेल के alignment में

बदलाव होने के फलस्वरूप DPR में आवश्यकतानुसार संशोधन कर चार सप्ताह के अन्दर संशोधित DPR तैयार कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन**

  उक्त मिशन के एक महत्वपूर्ण अवयव Shelter Homes के निर्माण के क्रम में परिलक्षित भूखंड की उपलब्धता की समस्या के निराकरण हेतु 3 मंजिलीय भवन का निर्माण कराये जाने की सूचना दी गयी।

- **शहरी फूटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की स्थापना**

  प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी 143 नगर निकायों में Town Vending Committee का गठन किये जाने एवं तदनुसार उनके द्वारा vending plans तैयार किये जाने की सूचना दी गयी।

- **सबके लिए आवास**

  प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Affordable Housing के तहत Housing Board द्वारा तत्काल Jones Lang Lasalle की सेवा Transaction Advisory के रूप में प्राप्त किये जाने एवं विभाग द्वारा International Finance Corporation की सेवा Transaction Advisory के रूप में प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गयी।

- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी** रुरबन मिशन

  मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका द्वारा सूचित किया गया कि प्रथम चरण के तहत चार चयनित क्लस्टर के अनुमोदित ICAP के आधार पर DPR का सूत्रण लगभग पूर्ण किये जाने एवं मद्दज उक्त क्लस्टर में संचालित एवं क्रियान्वित अन्य केन्द्रीय एवं राज्य के योजनाओं से अभिसरण की संभावना की समीक्षा की जा रही है। साथ ही द्वितीय चरण के तहत चिन्हित तीन क्लस्टर के ICAP का सूत्रण पूर्ण किये जाने की सूचना भी दी गयी।

- **पंचायत सरकार भवन**

  प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा 1 सितम्बर,2018 तक सभी पूर्ण निर्मित 1055 पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील किये जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही 1435 स्वीकृत पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त 2800 पंचायत सरकार के निर्माण की दिशा में आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई किये जाने की भी सूचना दी गयी।

  अनुपालन :– नगर विकास एवं आवास विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग।

(iii) उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन।

उद्योग विभाग द्वारा युवाओं के उद्यमिता विकास के लिए 500 करोड़ रू० के वेंचर कैपिटल फंड के गठन तथा इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि इस हेतु दिनांक 17.03.2017 से लागू बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी, 2017 के तहत गठित ट्रस्ट को वेंचर कैपिटल फण्ड हेतु 50 करोड़ रू० का निधि ट्रस्ट को उपलब्ध करायी गयी है। इस नीति के तहत अब तक कुल 5148 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 914 Start-Ups को प्रारंभिक स्क्रूटनी कमिटी द्वारा इन्क्युवेटर (Host Institute) के साथ सम्बद्ध किया गया है। Host Institute के द्वारा 101 Start-Ups की अनुशंसा की गयी है, जिसमें 57 आवेदकों को Start-Ups के रूप में प्रमाणीकृत किया गया है। अभी तक 42

Start-Ups को प्रथम किश्त 102.53 लाख रू० दिया गया है, जबकि 11 Start-Ups को द्वितीय किश्त 53.55 लाख रू० दिया गया है।

विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत अब तक 930 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें SIPB द्वारा 786 को स्टेज-1 का अनुमोदन दिया गया है, जिसमें निवेश की प्रस्तावित कुल राशि लगभग 10099.86 करोड़ रू० है। 138 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है, जिसमें निवेश की राशि 1289.65 करोड़ रू० है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत अभी तक 58 इकाईयां स्थापित एवं कार्यरत हो गई हैं। इनमें निवेशित कुल राशि 679.47 करोड़ रू० है तथा इन इकाईयों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 2561 है।

बैठक में उपस्थित प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा सूचित किया गया कि राज्य में मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति उद्यमी योजना दिनांक 17.05.2018 से लागू की गई है। इस योजना के तहत अभी तक 5350 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें 500 आवेदकों का चयन करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 157 आवेदकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, जिसमें 135 आवेदकों को प्रथम किश्त 11.28 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है।

बैठक में उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित उपर्युक्त योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा सुझाव दिया गया कि उपर्युक्त तीनों योजनाओं की क्रियान्वयन में सतत् गति बनायी रखी जाय।

अनुपालन :- उद्योग विभाग।

- **गन्ना उद्योग विभाग** :- बैठक में गन्ना उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में गन्ना उद्योग एवं गन्ना किसानों के प्रोत्साहन हेतु चलाई जा रही योजनाओं की उपलब्धि की तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत की गयी। विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गन्ना उत्पादन के रकबा में वर्ष 2016-17 में उपलब्धि 85 प्रतिशत थी, जबकि 2017-18 में यह उपलब्धि 103 प्रतिशत रही। वर्ष 2016-17 में बीज उत्पादन एवं वितरण में उपलब्धि 84 लाख क्विंटल थी, जबकि 2017-18 में उपलब्धि 64 लाख क्विंटल रही। बीज विस्थापन दर 2016-17 में 84 प्रतिशत थी, जबकि 2017-18 में 64 प्रतिशत प्राप्त की गयी। 2017-18 में चीनी रिकवरी में उपलब्धि 95 प्रतिशत प्राप्त की गई जबकि 2016-17 में उपलब्धि 87 प्रतिशत थी।

  बैठक में **चीनी** रिकवरी की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया गया, जबकि **गन्ना उद्योग विभाग को निदेश दिया गया कि बीज उत्पादन एवं वितरण बीज विस्थापन दर गन्ना उत्पादकता की बढ़ोतरी हेतु विशेष प्रयास किया जाय।**

  अनुपालन :- गन्ना उद्योग विभाग।

- **सूचना प्रावैधिकी विभाग** :-बैठक में आई०टी० रोड मैप के तहत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति का पावर पॉइन्ट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि Short Term में आई०टी० टॉवर के निर्माण हेतु Concept Note पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथा RFP एवं DCA पर विभागीय अनुमोदन से संबंधित मंतव्य IDA को प्रेषित किया गया है। Mid term में आई०टी० टॉवर निर्माण हेतु बंदर बगीचा में 1.2317 एकड़ भूमि सूचना प्रावैधिकी विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। भवन निर्माण विभाग के स्तर पर भूमि का दखल-कब्जा लंबित है। Long term में आई०टी० टॉवर निर्माण हेतु भूमि का हस्तांतरण हो चुका है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सचिव, सूचना प्रावैधिकी द्वारा सूचित किया गया कि राजगीर में

आई०टी० सिटी की स्थापना हेतु भूमि का हस्तातंरण हो चुका है तथा Allotment Policy तैयार कर शीघ्र मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। 100 सीटों वाले इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के संबंध में उनके द्वारा सूचित किया गया कि इस हेतु DPR का निर्माण का कार्य 05-06 वर्ष से BIT मेसरा (पटना कैम्पस) के स्तर पर लंबित है। ESDM के तहत IIT, पटना में इन्क्यूबेशन सेंटर के निर्माण के सम्बन्ध में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा एजेन्सी चयन हेतु निविदा प्रकाशित की गई है तथा इस निर्माण कार्य को 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसका डिजाईन उपलब्ध हो गया है।

निदेश दिया गया कि उपरोक्त सभी कार्यो में प्रगति लाया जाय।

अनुपालन :- सूचना प्रावैधिकी विभाग।

- **विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग** के नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आई०आई०आई०टी० के निर्माण हेतु भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में 50 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसके हस्तातंरण के प्रस्ताव पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में निर्णय विचाराधीन है। उनके द्वारा सूचित किया गया कि अभियंत्रण महाविद्यालय के भवन में अस्थायी तौर पर वर्ष 2017-18 का सत्र प्रारंभ है। इस सत्र में इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन तथा कम्प्यूटर साइंस में स्वीकृत 120 सीटों के विरूद्ध 73 छात्रों/ छात्राओं का नामांकन किया गया है। सत्र 2018-19 में एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम Electro Mechanical Engineering Course में 30 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। **निदेश दिया गया कि भूमि हस्तांतरण का कार्य यथा शीघ्र कराया जाय।**

  अनुपालन :- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

(iv) मानव विकास उप-मिशन।

"अवसर **बढ़े, आगे पढ़ें" निश्चय**

- 7 निश्चय के तहत 5 जिलो मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर एवं बेगूसराय में **पाँच नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना** के तहत निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कराया जाय, ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा सके।

  अनुपालन :- स्वास्थ्य विभाग।

मिशन **मानव विकास (MMV)**

- **महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांको** में राज्य औसत को राष्ट्रीय औसत के नजदीक लाने हेतु निरंतर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, ताकि राज्य का देश के 5 अग्रणी राज्यों में स्थान रहे।
- **मिशन मानव विकास** के तहत आगामी 5 वर्षो (2018-2022) के लिए निर्धारित सूचकांक एवं लक्ष्यों पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, जिस विभाग से प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है, से समन्वय कर योजना एवं विकास विभाग से शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से इस पर स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई करे।

  अनुपालन :- स्वास्थ्य विभाग /योजना एवं विकास विभाग।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के प्रथम चरण के सुधार कार्यक्रमः-

- स्वास्थ्य संस्थानों में हर हाल में **बुनियादी स्वास्थ्य सुविधायें** यथा- दवा, पैथोलॉजी, एक्स-रे, एम्बुलेन्स की उपलब्धता एवं 24 X 7 चिकित्सा की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे, ताकि आमजनों को बेहतर चिकित्सीय सुविधायें मिल सके।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित **अक्रियाशील लैंडलाइन** को BSNL के पदाधिकारियों से समन्वय कर क्रियाशील कराया जाय तथा भविष्य में इसे हमेशा क्रियाशील रखना सुनिश्चित किया जाय।
- **प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य वेब पोर्टल** (RCH Portal) - आर0सी0एच0 रजिस्टर का ऑन-लाईन संधारण एवं उपयोग करने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर सभी संबंधित को निदेशित किया जाय, ताकि प्रत्येक गाँव की योग्य दम्पत्ति का पंजीकरण कर गर्भाधारण/प्रसव उपरांत दी जाने वाली मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं एवं परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी के साथ ही 0-5 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण इत्यादि से संबंधित सेवाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।
  अनुपालन :- स्वास्थ्य विभाग।
- बच्चों में **Stunted Growth की समस्या** के रोकथाम हेतु निर्धारित सूचकांक एवं लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु सूचकांक से संबंधित कार्यक्रमों का सतत् अनुश्रवण संबंधित विभाग द्वारा किया जाय, ताकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
  अनुपालन :- समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग /शिक्षा विभाग।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

सूचित किया गया कि योजना का शुभारम्भ 3 अगस्त, 2018 को किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। योजना में क्षैतिज प्रवेश (Lateral Entry) के प्रावधान को भी समाहित किया गया है।

निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग वर्ष 2018-19 के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण निश्चित रूप से करें।

अनुपालन :- स्वास्थ्य विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ शिक्षा विभाग।

समाज कल्याण विभाग

- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** - सूचित किया गया कि 62.50 लाख पेंशनधारियों का अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक के भुगतान हेतु राशि की निकासी कर ली गयी है। इसी सप्ताह सभी पेंशनधारियों को भुगतान करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी। अबतक ई-लाभार्थी पोर्टल पर 67.70 लाख पेंशनधारियों को अपलोड किया जा चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए लगभग 1.5 लाख पेंशनधारियों के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना होगा।
- **मृतक अनुदान योजना** (कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) के तहत Parent-Child Account System हेतु सभी जिलों में बैंक खाता

खोला जा चुका है। शीघ्र ही सभी अनुदान योजनाओं के भुगतान की कार्रवाई Parent-Child Account के माध्यम से प्रारंभ कर दी जायेगी।

- **महिला सशक्तिकरण नीति** के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु कार्ययोजना के संकेतकों को अनुश्रवणीय बनाने हेतु महिला विकास निगम (समाज कल्याण विभाग) जिस विभाग से प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है, से समन्वय कर शीघ्र प्राप्त करे।

  अनुपालन :–समाज कल्याण विभाग।

शिक्षा विभाग

- सत्र 2018-19 के बच्चों हेतु **निःशुल्क** पाठ्य-पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।
- **सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना** हेतु शेष बचे 2521 ग्राम पंचायत में भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। विभाग द्वारा सतत् लीज पर जमीन लेने हेतु कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही 1500 अनाच्छादित पंचायत के विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों से आच्छादित किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

  अनुपालन :– शिक्षा विभाग।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, छात्रावास अनुदान योजना एवं मुफ्त खाद्यान्न योजना के कार्यान्वयन हेतु सारी तैयारी संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण कर ली गयी है। योजना का शुभारंभ 14 अगस्त, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी है। निदेश दिया गया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के UPSC/BPSC प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को परीक्षाफल प्रकाशन के एक माह के अन्दर भुगतान की कार्रवाई पूर्ण की जाय।

अनुपालन :– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

(v) आधारभूत संरचना उप-मिशन।

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना

राज्य के कुल 4643 संपर्कविहीन बसावट/टोला को संपर्कता प्रदान करने हेतु कुल 3977 कि.मी. सड़क निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 521 कि.मी. सड़क का निर्माण करते हुए 528 बसावट/टोला को संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। **अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा ससमय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यथोचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।**

अनुपालन :– ग्रामीण कार्य विभाग।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

चर्चा के क्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 11 IAP जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी वाले बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु कुल 56769 कि. मी. सड़क का निर्माण कर लक्ष्य 50828 बसावटों को संपर्कता प्रदान किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 51372 कि. मी.

सड़क का निर्माण कर कुल 49418 बसावटों को संपर्कता प्रदान किये जाने की सूचना दी गयी।
अनुपालन :– ग्रामीण कार्य विभाग।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

चर्चा के क्रम में सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत गैर IAP 27 जिलों में 250 से 499 तक की आबादी वाले बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु कुल 68727 कि.मी. सड़क का निर्माण कर 73738 बसावटों को संपर्कता प्रदान किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24567 कि.मी. सड़क का निर्माण कर कुल 24189 बसावटों को संपर्कता प्रदान किया गया है। **ससमय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।**
अनुपालन :– ग्रामीण कार्य विभाग।

पथ निर्माण विभाग

"विजन 2020" के तहत राज्य के सुदूर एवं दुर्गम स्थलों से राज्य की राजधानी पहुँचने में अधिकतम 5 घंटे का समय अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 73 पथों 27 पुल एवं 6 अंडर पास के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जिसमे अब तक 70 पथों एवं 26 पुलों का कार्य प्रारंभ है। इनमे से 26 पथ एवं 9 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
वर्ष 2017–18 में 110 पथ एवं 20 पुलों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जिसमे 81 पथों का कार्यादेश निर्गत एवं 5 पुलों में कार्य प्रारंभ है। पथ की 9 योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी है ।

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सभी योजनाओं में कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य प्रारंभ योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निदेश, अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

12 महत्वपूर्ण पुल/फ्लाईओवर के निर्माण के सम्बन्ध में लक्ष्य की ससमय प्राप्ति हेतु कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

OPRMC अंतर्गत 8083 कि. मी. पथ के रख–रखाव का लक्ष्य के विरुद्ध 6221 कि. मी. पथ का अनुरक्षण कार्य किये जाने की बात बैठक में बताई गई। **इस सम्बन्ध में आवश्यक यथोचित कार्रवाई करने संबंधी निदेश दिया गया।**

ब्रिज मेंटनेंस पॉलिसी के सूत्रण लंबित होने की सूचना दी गई। **इसे अविलम्ब निस्तारित करने का निदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया।**
अनुपालन :– पथ निर्माण विभाग।

ऊर्जा विभाग

अक्षय ऊर्जा स्रोत से विद्युत् उत्पादन को बढ़ावा योजना अंतर्गत 229 MW विद्युत् का उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17 इकाईयों के माध्यम से 223 MW विद्युत् का उत्पादन प्रारंभ होने एवं शेष 6 MW विद्युत् के लिए एक इकाई का कार्य जारी होने की बात विमर्श के दौरान बताई गई। **निदेश दिया गया कि शेष 1 इकाई को प्रारंभ कर 6 MW विद्युत् के शीघ्र उत्पादन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाय।**
अनुपालन :– ऊर्जा विभाग।

परिवहन विभाग

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बसो के संचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु BSRTC द्वारा कार्य योजना तैयार करने की सूचना बैठक में दी गई। **इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि शीघ्र कार्य योजना को पूर्ण कर उसे अमल में लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।**

अनुपालन :- परिवहन विभाग।

भवन निर्माण विभाग

बैठक में सूचित किया गया कि राज्य के 13 भवनों के रेट्रोफिटिंग कार्य के लक्ष्य के विरुद्ध 02 भवन (मुख्य सचिवालय तथा राजकीय अतिथिशाला के रेट्रोफिटिंग कार्य 80% पूर्ण है एवं 1 अणे मार्ग स्थित आवासीय भवन में भी रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

निदेश दिया गया कि उपरोक्त 03 भवनों के रेट्रोफिटिंग कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए एवं अन्य भवनों में रेट्रोफिटिंग कार्य प्रारंभ किये जाने का निदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

अनुपालन :- भवन निर्माण विभाग।

(vi) कृषि उप-मिशन।

- जैविक कोरिडोर योजना की समीक्षा के क्रम में सूचित किया गया कि वर्ष 2017-18 में प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों में गंगा तथा राष्ट्रीय / राजकीय पथ के दोनों किनारे जैविक कोरिडोर योजना प्रारंभ की गयी। सूचित किया गया कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में करने की योजना है। बैठक में सुझाव दिया गया कि जैविक कोरिडोर योजना अंतर्गत अच्छादित क्षेत्र को मॉडल के रूप में प्राथमिकतानुसार विकसित किया जाय। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2018-19 में योजना में तदनुसार आवश्यक सुधार किया जायेगा।
- कृषि इनपुट अनुदान योजना के संबंध में सूचित किया गया कि 2017-18 में प्रथम चरण में पायलट योजनान्तर्गत 4 जिलों में योजना संचालित की गयी। पायलट योजना के तहत प्राप्त अनुभव एवं सुझाव के आलोक में वर्ष 2017-18 के लिए सितम्बर माह में संशोधित रूप में योजना को प्रारंभ करने का लक्ष्य है।
- आधार बीज अनुदान योजना अंतर्गत 2017-18 में कम उपलब्धि के संबंध में प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आधार बीज अनुदान योजना को लोकप्रिय करने के लिए विभाग, इसमें Buy-Back योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। इससे इस योजना को किसान के बीच लोकप्रिय एवं सफल बनाने में सफलता मिलने की संभावना है।

अनुपालन :- कृषि विभाग।

पर्यावरण एवं वन विभाग :-

- समीक्षा में सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने नये विधि एवं तकनीक से हरित आवरण सर्वेक्षण के लिए FSI के साथ MoU किया था। FSI द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट देने में हो रहे विलम्ब के लिए कई बार विभाग द्वारा स्मारित किया गया। FSI द्वारा 6 जिलों में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर आकलन संबंधित अंतरिम प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त करने का निदेश है। 6 जिलों के अंतरिम प्रतिवेदन से स्पष्ट होगा की 2017 में राज्य के हरित आवरण का विस्तार प्रतिशत 15% तक हुआ या नहीं। सूचित किया गया कि FSI द्वारा किये गये सर्वेक्षण में 2017 तक हरित आच्छादन 15% प्रतिवेदित होने की संभावना है। निदेश दिया गया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवेदन FSI से शीघ्र प्राप्त किया जाय।

- प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा के क्रम में सूचित किया गया कि नगर निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्टों के Treatment एवं उसके निष्पादन की दिशा में संस्थागत प्रयास किये जा रहे है। प्लास्टिक उपयोग को मानक सीमा तक निषेधित करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रारूप तैयार किया गया है।

  अनुपालन :- पर्यावरण एवं वन विभाग।

सहकारिता विभाग :-

- समीक्षा में सूचित किया गया कि राज्य में जैविक सब्जी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण की योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 5 जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर तथा बेगुसराय के 97 प्रखंड में प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादन, सहकारी समिति के गठन का कार्य किया गया है। सूचित किया गया कि हाजीपुर में इस योजना के प्रति Response अच्छा मिल रहा है। बैठक में इस संबंध में सुझाव दिया गया कि संरचनात्मक निर्माण के तहत पहले सहकारी समिति (प्रखंड स्तरीय), यूनियन एवं फेडरेशन के गठन पर प्राथमिकता दिया जाय। संरचनात्मक गठन के बाद प्रक्रियात्मक पहलू पर चरणबद्ध रूप से कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- फसल सहायता योजना 2018-19 के समीक्षा में सूचित किया गया कि किसानों के लिये ऑनलाइन पंजीकरण 31 अगस्त, 2018 तक विस्तारित की गयी हैं। विभागीय सचिव द्वारा सूचित किया गया कि एकीकृत योजना अंतर्गत, किसान पंजीकरण का कार्य कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा रहा है। **पंजीकरण की धीमी गति को ध्यान में रख कर अधिक से अधिक किसान को आच्छादित करने की दिशा में आवश्यक पहल करने का निदेश दिया गया।**

  अनुपालन :- कृषि विभाग/ सहकारिता विभाग।
- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा सूचित किया गया कि, अधिप्राप्ति कार्य के लिए पैक्स को राज्य खाद्य निगम से सिर्फ 2% राशि प्राप्त होती है, जबकि विभाग के द्वारा अधिप्राप्ति समाप्ति के बाद पैक्स से 2% चार्ज के रूप वसूली की जाती है। इस व्यवस्था से पैक्स को अधिप्राप्ति कार्य करने से कोई वास्तविक लाभ नहीं होता है तथा राज्य खाद्य निगम के पास लम्बे समय तक भुगतान लंबित रहने से कई पैक्स इस वजह से Defaulter और निर्वाचन से अयोग्य घोषित हो जाते हैं। सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि भारत सरकार विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति मद में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग अलग मदवार राशि प्राप्त होती है। अधिप्राप्त खाद्यान के भंडारण मद में प्राप्त राशि में से युक्तिसंगत आधार पर पैक्स को 2% राशि उपलब्ध करायी जाती है। **निदेश दिया गया कि इस विषय पर समीक्षा हेतु अलग से दोनों विभाग अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।**

  अनुपालन :- सहकारिता विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

(vii) लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग

बिहार संवाद समिति के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि समिति क्रियाशील है तथा पद सृजन के प्रस्ताव पर पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब सितम्बर-2017 से कार्यरत है। ई-विज्ञापन प्रणाली क्रियाशील कर ली गयी है तथा Payment and verification module के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई आरम्भ हो चुकी है। मीडिया प्रबंधन एवं समन्वय हेतु पी० आर० एजेंसी क्रियाशील है। बिहार सरकार के सभी विभागों के लिए Integrated common website निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पुराने वेबसाइट से डाटा अंतरित कर विभागों से सत्यापन कराया जा रहा है। वेबसाइट को State Data Centre पर होस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा इसमें सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिवों से सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन :- सभी विभाग।

कला-संस्कृति एवं युवा विभाग

- **बिहार संग्रहालय** का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संग्रहालय का लोकार्पण किया जा चुका है। इतिहास एवं कला दीर्घा का 70% कार्य शेष है जिसे शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग।
- **बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय -सह- स्मृति स्तूप, वैशाली** के निर्माण हेतु 72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा चहारदीवारी निर्माण का अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्ट्रक्चरल तथा आर्किटेक्चरल डिजाईन का अनुमोदन किया जा चुका है तथा 301.40 करोड़ रु० के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। **पहुँच पथ हेतु 1.84 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना शेष है जिसे शीघ्र पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया।**
  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ जिला पदाधिकारी, वैशाली।

- **लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन -सह- पुस्तकालय, सिताब दियारा, सारण** का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा चहारदीवारी निर्माण का अधिकांश कार्य किया जा चुका है। पहुँच पथ निर्माण हेतु 5.57 करोड़ रु० की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गयी है तथा निविदा आमंत्रित की गई है। संग्रहालय के संचालन हेतु पद सृजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। उपस्कर क्रय हेतु 1.13 करोड़ रु० की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर दी गई है जिसके लिए निविदा किया जाना है। पुस्तकालय के संगठन एवं संयोजन हेतु प्रमाणिक सामग्रियों का संकलन का कार्य किया जा रहा है। **विद्युत् कार्य शेष है शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।**
  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ **उर्जा** विभाग/ **जिला** पदाधिकारी, सारण।

- **संग्रहालय भवनों के जीर्णोद्धार** हेतु 11 चिन्हित संग्रहालयों में से 3 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 7 प्रक्रियाधीन है। चेचर संग्रहालय की चहारदीवारी का निर्माण भूमि अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका है। बिहारशरीफ में संग्रहालय निर्माण हेतु बिहारशरीफ बस स्टैंड की भूमि का चयन किया गया था जिसके हस्तांतरण का प्रस्ताव परिवहन विभाग में विचाराधीन है। **सभी लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन का निदेश दिया गया है।**
  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ परिवहन विभाग / जिला पदाधिकारी, नालन्दा।

- **संग्रहालय दीर्घाओं के जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण** हेतु चिन्हित 11 संग्रहालयों की दीर्घाएं में से 4 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 5 प्रक्रियाधीन है। पटना संग्रहालय के पुर्नसंयोजन के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि परामर्शी चयन हेतु RFP आमंत्रित किया गया है तथा इसमें संग्रहित पुरावशेषों के संरक्षण हेतु NLRC लखनऊ को 74.30 लाख रु० की स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है। **निदेश दिया गया कि पटना संग्रहालय के पुर्नसंयोजन एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय। गाँधी संग्रहालय, भितिहरवा एवं नारद संग्रहालय, नवादा में शेष दीर्घाओं के जीर्णोधार हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने का निदेश दिया गया।**
  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग।

- **प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी** के निर्माण के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि 8 प्रमंडलों में प्रेक्षागृह -सह- आर्ट गैलरी निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 5 स्थलों का स्वीकृत्यादेश निर्गत तथा 2 स्थलों (मुंगेर तथा सहरसा) पर कार्यारम्भ कर दिया गया है। **गया तथा भागलपुर में भूमि चयन किया जाना शेष है जिसे शीघ्र किये जाने का निदेश दिया गया।**
  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ जिला पदाधिकारी, गया एवं भागलपुर।

- **मिथिला चित्रकला संस्थान** के भवन निर्माण हेतु 27.48 करोड़ रु० की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर दी गई है तथा निर्माण हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित की गई है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में समिति गठित कर संस्थान के संचालन हेतु प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं का चयन किया जा रहा है। **सत्र संचालन से सम्बंधित सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर अध्यापन कार्य आरम्भ कराये जाने का निदेश दिया गया।**

  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ भवन निर्माण विभाग (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड) / जिला पदाधिकारी, मधुबनी।

- **भारतीय नृत्य कला मंदिर के पुनर्निर्माण** हेतु 4.61 करोड़ रु० तथा विद्युतीकरण हेतु 1.14 करोड़ रु० की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है एवं निविदा आमंत्रित की गई है। राजगीर में फिल्म सिटी के निर्माण हेतु Bid document तैयार कर लिया गया है तथा मुंबई में Investor's meet कराने हेतु तिथि का पुनर्निर्धारण प्रक्रियाधीन है। फिल्म सिटी की चहारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है। बिहार राज्य प्रोत्साहन नीति तैयार कर ली गयी है तथा इसके प्रारूप में संशोधन प्रक्रियाधीन है। **सभी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया।**

  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ भवन निर्माण विभाग (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड)/ उर्जा विभाग / जिला पदाधिकारी, नालन्दा।

- **तेल्हाड़ा में Site Museum** के निर्माण के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि निर्जापुर, नालंदा में भूमि चयन कर लिया गया है तथा चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार है। **संग्रहालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जाना है जिसे शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।**

  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ भवन निर्माण विभाग (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड) ।

- **राजगीर पुरातत्त्व सर्वेक्षण परियोजना** अंतर्गत 160 पुरास्थलों का प्रतिवेदन लेखन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा परियोजना का रोड मैप तैयार कर ASI से अनुज्ञप्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

- **पुरातात्विक मानचित्र के निर्माण** हेतु 309 पुरास्थलों का प्रमंडलवार मानचित्र एवं विवरणी तैयार कर ली गई है जिसका अंतिम प्रूफ रीडिंग किया जा रहा है तथा एटलस का मुद्रण अगस्त 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तारडीह (बोधगया), **जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय (पटना) तथा कैमूर शैलाश्रय में थीम पार्क के निर्माण हेतु पुनर्निविदा लंबित है जिसे शीघ्र कराये जाने का निदेश दिया गया।**

  अनुपालन :- कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ भवन निर्माण विभाग (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड)/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

पर्यटन विभाग

- **परिपथों के विकास** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि जैन परिपथ में 41% कार्य तथा काँवरिया पथ में 81% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गांधी परिपथ अंतर्गत अधिकांश योजनाओं में कार्य आरम्भ किया जा चुका है तथा मंदार एवं अंग प्रदेश परिपथ के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त रामायण परिपथ हेतु 103.17 करोड़ रु० का प्राक्कलन, बुद्ध परिपथ हेतु 179.42 करोड़ रु० एवं बापू परिपथ हेतु 87.47 करोड़ रु० का DPR स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार को भेजा गया है

जिस पर केंद्र सरकार की स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। **निदेश दिया गया कि केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जाय।**
अनुपालन :- पर्यटन विभाग।

- **रज्जूमार्ग के निर्माण** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि राजगीर तथा मंदार पर्वत, बांका में रज्जूमार्ग निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। बाणावर पर्वत, जहानाबाद तथा मुण्डेश्वरी पर्वत, कैमूर में FRA का प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं भूमि अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत तथा प्रेतशिला पर्वत, गया में Forest एवं Wild Life Clearance प्रक्रियाधीन है। उमगा पहाड़, औरंगाबाद में रज्जू मार्ग निर्माण हेतु कार्रवाई की जानी है। **निदेश दिया गया कि योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।**
अनुपालन :- पर्यटन विभाग।

- **घोड़ा-कटोरा, नालंदा के समग्र विकास** हेतु 48.41 करोड़ रु० के स्वीकृत राशि से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। घोड़ा-कटोरा में निर्माणाधीन बुद्ध मूर्ति का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा वृक्षारोपण एवं इको रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण है। **घोड़ा-कटोरा में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास ससमय पूर्ण कर लेने का निदेश दिया गया।**
अनुपालन :- पर्यटन विभाग।

- **बोधगया में कल्चरल सेंटर के निर्माण** हेतु 145.14 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी है तथा इसके निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी है। IITTM, बोधगया में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसके भवन निर्माण हेतु ले-आउट प्लान तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

- **बहुदेशीय प्रकाश केंद्र एवं उद्यान** के निर्माण हेतु 48 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा कार्यारम्भ कर दिया गया है। **निदेश दिया गया कि इन सभी योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।**
अनुपालन :- पर्यटन विभाग/ पर्यावरण एवं वन विभाग।

- **मार्गीय सुविधाओं के विकास** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि कंचनपुर (सासाराम) में 4.92 करोड़ रु० की योजना स्वीकृत कर निविदा प्रकाशित किया गया है। साथ ही 5 जाँच चौकियों पर मोटल/ ढ़ाबा के विकास हेतु संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

- **पर्यटक मार्ग दर्शकों का प्रशिक्षण** के लिए पर्यटन कौशल विकास योजना अंतर्गत 15,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु 40.36 करोड़ रु० की योजना स्वीकृत कर वर्ष 2018-19 के लिए 10 करोड़ रु० उपबंधित किया गया है। प्रशिक्षण हेतु एजेंसी का चयन कर लिया गया है तथा मनेर एवं मुजफ्फरपुर में कौशल विकास केन्द्रों का संचालन आरम्भ कर दिया गया है।

- **चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह** के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित अधिकाँश योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी है। गाँधी परिपथ अंतर्गत भितिहरवा, चंद्रहिया एवं तुरकौलिया में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 44.65 करोड़ रु० की योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है एवं अधिकाँश योजनाओं में कार्य आवंटित किया जा चुका है। भितिहरवा थीम पार्क के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी हैं। गाँधी जी से जुड़े अन्य स्थलों के विकास हेतु 87.47 करोड़ रु० का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में 5 सत्याग्रह शताब्दी स्तम्भ का निर्माण

कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा पटना में बापू टावर के निर्माण हेतु स्थल चयन कर प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण गाँधी स्मृति नगर भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है तथा मुजफ्फरपुर में भूमि का चयन किया जाना है। **सभी सम्बंधित विभागों को योजनाओं को ससमय पूर्ण कर लिए जाने का निदेश दिया गया।**

अनुपालन :- सभी संबंधित विभाग।

कार्यावली संख्या-21

अन्यान्यः-

अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अनुमति से सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा सूचित किया गया कि,

क) Ref No.-BVM/2015-16/HR-08, Dated-20 May 2016 के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत कोटिवार Merit List/ पैनल तैयार कर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की रिक्तियों पर नियोजन की कार्रवाई की गयी। Separation की स्थिति में संभावित रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम प्रतीक्षा सूची दिनांक-21.10.2016 को प्रकाशित की गयी।

वर्तमान में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के Manager/ Assistant Manager (Projects & Accounts)/ Assistant Manager (Schemes) के पद पर रिक्ति को कार्यहित में भरा जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रतीक्षा सूची की मान्यता दिनांक-31.12.2018 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः- अनुमोदित।

अनुपालन :- बिहार विकास मिशन।

ख) बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका-19 में अंकित है:- " Operation Of Accounts:- A bank account will be opened by the name of the "Bihar Vikas Mission" Fund and funds of the Mission will be operated through it. This account will be operated by joint signatures of the officers authorized by the Governing Body. "

वर्तमान में बिहार विकास मिशन का एक खाता ICICI बैंक में संधारित है। कार्यहित में कार्यालय का एक और बैंक में खाता खोलने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय के अनुमोदन/ विचारार्थ प्रस्ताव उपस्थापित/ प्रार्थित है।

निर्णय :-नियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु आगामी शासी निकाय की बैठक में विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ रखने हेतु अनुशंसित।

अनुपालन :- बिहार विकास मिशन।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(अरुण कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

(दीपक कुमार)
अध्यक्ष

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०–स्था०-(बैठक)-01/2018.....1089.....पटना-23, दिनांक-.....28.08.18

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ पुलिस महानिदेशक/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ मिशन निदेशक/ सभी उप-मिशन निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (नियुक्ति/ अधिप्राप्ति)/ महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं सूचना प्रावैधिकी)/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०–स्था०-(बैठक)-01/2018.....1089.....पटना-23, दिनांक-.....28.08.18

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, वैशाली/ सारण/ नालन्दा/ गया/ भागलपुर एवं मधुबनी।

सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०–स्था०-(बैठक)-01/2018.....1089.....पटना-23, दिनांक-.....28.08.18

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ आई० टी० मैनेजर, बिहार विकास मिशन को Website पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन